UPAL010014782026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी–(PANKAJ KUMAR AGRAWAL)(उच्चतर न्यायिक सेवा)

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–731 सन् 2026

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 विजेन्द्र पाल निवासी–दीनदयालपुर थाना हरदुआगंज, जनपद–अलीगढ़।

.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी / वादी

आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र आज आदेशार्थ पेश हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **धर्मेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व. विजेन्द्र पाल द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–632 / 2025 धारा–103(1) भारतीय न्याय संहिता थाना हरदुआगंज,** जिला अलीगढ़ के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि उप निरीक्षक चौकी इन्चार्ज बुढासी थाना हरदुआगंज अलीगढ ने थाना हरदुआगंज पर एक तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1199 / 2025 मृतक सचिन प्रताप पुत्र विजेन्द्र पाल निवासी–दीनदयालपुर थाना हरदुआगंज अलीगढ वास्ते जॉच प्राप्त हुई तो उसने पंचायतनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1199 / 25 दिनांक–12.08.2025 की गहन जांच की गयी तो जॉच से पाया कि मृतक सचिन के सिर पर चोटे अंकित है और मृतक की मृत्यु का कारण ASPHYXIA ANTI MOTRAM STRANGULATION है। मृतक सचिन की हत्या हुई है। उसके द्वारा गहन जॉच के दौरान पाया गया कि मृतक सचिन अपनी पत्नी मधु व भाई धर्मेन्द्र पुत्र विजयपाल के साथ मकान में रहता था। सचिन की अपनी पत्नी मधु से अनबन रहती थी और अक्सर धर्मेन्द्र व मृतक सचिन में लड़ाई झगडा रहताथा और दिनांक–11 / 12.08.2025 की रात्रि में तीनो मृतक सचिन उसकी पत्नी मधु व भाई धर्मेन्द्र घर पर ही मौजूद थे। धर्मेन्द्र के मधु के साथ अवैध सम्बन्धों की जानकारी भी गांव के लोगो से जॉच के दौरान मिली है। दिनांक– 12.08. 2025 को मृतक सचिन का शव घर के गेट पर लहुलुहान अवस्था में मिला था जिसके सम्बन्ध में 112 नम्बर पर सूचना दी गयी थी, परन्तु पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन और गांव में गहन गोपनीय पूछताछ से पाया कि मृतक सचिन की हत्या उसकी पत्नी मधु व उसके भाई धर्मेन्द्र ने की है।

4. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त को उपरोक्त केस में झूंठा फंसाया गया है, अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नही किया है। अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नही किया गया, न अभियुक्त के कब्जे से कोई अपराध सम्बन्धी विषय वस्तु बरामद हुई है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई केस नही है और न ही उसका इस मामलें से कोई लेना देना है। अभियुक्त के खिलाफ कोई जनता का चक्षुदशी साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस सब इंस्पे. क्टर ने दर्ज करायी है। अभियुक्त के मृतका के शरीर पर न तो उनके अंगुलियों के निशान थे और न किसी भी प्रकार की कोई अभियुक्त के द्वारा घटना कारित की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट चार माह बाद देरी से लिखायी गयी है जिसका कोई विवरण नही दिया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने सह अभियुक्त के साथ षडयंत्र कर गम्भीर अपराध कारित किया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6. जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा प्रस्तुत केस डायरी व प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त तहरीर में नामित अभियुक्त है। उक्त तहरीर स्वयं उप–निरीक्षक चौकी इंचार्ज बुढासी, थाना हरदुआगंज अजहर हसन द्वारा दर्ज करायी गयी। तहरीर के अनुसार मृतक सचिन अपनी पत्नी मधु व भाई धर्मेन्द्र के साथ मकान में रहता था और मृतक सचिन की अपनी पत्नी मधु से अनबन रहती थी और धर्मेन्द्र व मृतक सचिन में आपस में झगड़ा रहता था। अभियुक्त धर्मेन्द्र व मधु के मध्य अवैध सम्बन्धों की जानकारी मिलना भी कहा गया है। दिनांक 11/12.08.2025 की रात्रि में मृतक सचिन व उसकी पत्नी मधु एवं अभियुक्त धर्मेन्द्र को घर पर ही मौजूद होना कहा गया है और दिनांक 12.08.2025 को मृतक सचिन का शव घर के गेट पर लहुलूहान अवस्था में मिला था, जिसके सम्बन्ध में 112 नम्बर पर सूचना दी गयी थी। सचिन की हत्या उसकी पत्नी मधु और मृतक के भाई धर्मेन्द्र द्वारा किया जाना कहा गया है। वादी मुकदमा द्वारा तहरीर में उल्लिखित कथनों का समर्थन बयान धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किया गया है। मृतक के पंचायतनामे के अनुसार, *"मृतक के सिर के पीछे खून आलूदा चोट से खून बह रहा है और गले में रगड़ का निशान बना है।"* मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक को मृत्यु पूर्व दो चोटें आना दर्शित किया गया है–

i. Lacerated wound of size 3x1cm over right side of head, 5cm

above right ear.

ii. Ligature mark on all around neck 32x1cm, 4cm below right ear, 4cm from chin and 4cm from left ear base of mark is brown subcutaneus tissue under ligature mark ecchymosed.

तथा Hyoid bone fractured होना पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण "Asphyxia due to antemortem Strangulation" होना दर्शित किया गया है। दौरान विवेचना अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्ता मधु से साथ अवैध सम्बन्ध होने के कारण व मृतक द्वारा पत्नी मधु के साथ मारपीट करने के कारण सह-अभियुक्ता मधु के साथ मिलकर गला दबाकर सचिन की हत्या करना कहा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में खेम सिंह द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि सचिन के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना गाँव के शेलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र रामपाल सिंह द्वारा पुलिस को दी गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घटना की सूचना भी अभियुक्त अथवा सह-अभियुक्ता मधु द्वारा मृतक की पत्नी होते हुए भी नहीं दी गई है, जबकि सह-अभियुक्ता मधु द्वारा घर के दरवाजे से निकलते ही अपने पति को घर के बाहर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ देखने और खून निकलते हुए देखने का कथन किया गया है। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि, सचिन की मृत्यु की जानकारी होने के पश्चात भी अभियुक्त द्वारा उसका भाई होते हुए भी कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई है और न ही सह-अभियुक्ता मधु द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है बल्कि गाँव के व्यक्ति द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गई है। घटना के समय मृतक अपनी पत्नी मधु /सह-अभियुक्ता के साथ व अपने भाई धर्मेन्द्र के साथ रहता था। मृतक की मृत्यु का कोई स्पष्टीकरण अभियुक्त द्वारा नहीं दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त की घटना में सक्रिय भूमिका होना दर्शित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत दिये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **धर्मेन्द्र प्रताप सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–05.03.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
ID No.-UP-1897
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

टाइपकर्ता– संगम (आशुलिपिक)

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.03.05 17:20:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court